



**THE**  
**JHARKHAND GAZETTE**  
**EXTRAORDINARY**  
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

---

**13 FALGUN, 1943 (S)**

---

**No. 92**

**RANCHI, FRIDAY, 4<sup>th</sup> MARCH, 2022**

---

**COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT**

-----

**NOTIFICATION**

4<sup>th</sup> March, 2022

**Notification No.- 22/2021 – State Tax(Rate)**

**S.O. No. 09, Dated 4<sup>th</sup> March, 2022--**In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 15/2021 – State Tax(Rate), dated the 2<sup>nd</sup> February, 2022, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 82, dated the 2<sup>nd</sup> February, 2022, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3,-

- 1) in column (3), in the heading “Description of Service”, in items (iii),(vi),(ix) and (x), for the words “Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words “Union territory or a local authority” shall be substituted;
- 2) in column (3), in the heading “Description of Service”, in item (vii), for the words “Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity” the words “Union territory or a local authority” shall be substituted;
- 3) in column (5), in the heading “Condition”, the entries against items (iii),(vi),(vii),(ix) and (x), shall be omitted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1<sup>st</sup> Day of January, 2022.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

**Aradhana Patnaik,**

Secretary,

Commercial taxes Department.

**Note:** - The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, and last amended by notification No. 06/2021 - State Tax (Rate), dated the 25<sup>th</sup> November, 2021 vide S.O. No. 51, dated the 25<sup>th</sup> November, 2021.

## वाणिज्य-कर विभाग

-----

### अधिसूचना सं०. 22/2021- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 09, दिनांक 4 मार्च, 2022 - झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 15/2021- राज्य कर (दर), दिनांक 2 फरवरी, 2022, जिसे एस. ओ. सं. 82, दिनांक 2 फरवरी, 2022 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था का अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,- क्रम संख्या 3 के समक्ष,-

(1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में,मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में,मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर,शब्दों और प्रतीकों"संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में,मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में,मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय" के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों "संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii),(vi),(vii),(ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/02/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**आराधना पटनायक,**

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2021- राज्य कर (दर), दिनांक 25 नवम्बर, 2021, एस. ओ. सं. 51, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

-----